कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 541 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 9 अगस्त, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद–टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 किमी0) के निर्माण हेतु 2.975 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/10527/2015

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/86/2017/एफ0सी0/2070 दिनांक 07–01–2019।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 194/12–1 दिनांक 06.08.2024 के द्वारा आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

| क्र. सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.95 है0 ग्राम–ल्वारखा तिमली सैंण सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.95 अर्थात 6.00 है0 ग्राम–ल्वारखा तिमली सैंण सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 16,71,990.00 जमा कर दी गयी है। उक्त भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर लिया गया है, जिससे सम्बन्धित जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल का आदेश संलग्न है। (संलग्न–1)<br>उक्त सिविल भूमि को सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 13/X-3-22/14(02)/2021 दिनांक 05.01.2022 द्वारा संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी है। (संलग्न–2) |
| 2. | प्रयोक्त अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत् दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त के अनुपालन में एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि ₹ 25,13,875.00 वर्ष 2019 में जमा की गयी है।<br>इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित (नवीन) दरों के तहत् ₹ 13,32,354.00 की अतिरिक्त धनराशि ऑनलाईन |

| क्र. सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| | | पोर्टल के माध्यम से दिनांक 06.07.2024 को जमा की जा चुकी है। |
| 3. | शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए। | शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–3)** |
| 4. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि सभी निधियां परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 16,71,990.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 25,13,875.00 कुल ₹ 41,85,865.00 की धनराशि वर्ष 2019 में कैम्पा कोष में जमा की गयी है। **(संलग्न–4)**<br>इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित (नवीन) दरानुसार ₹ 13,32,354.00 की अतिरिक्त धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 06.07.2024 को जमा की जा चुकी है। **(संलग्न–5)** |
| 5. | सडक निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ संभव हो सड़क के दोनों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की बचन बद्धता प्रेषित करनी होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत कर दी गई है कि सड़क निर्माण कार्य के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा। **(संलग्न–6)** |
| 6. | State Govt. will upload the approximate distance of proposed site for diversion inside from boundary of forest at para 7 of online Part-II & also submit original/attested copy of Part IV & V. | शर्त संख्या 6 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल पर प्रभाग स्तर से किसी प्रकार का संशोधन किया जाना तकनीकी रूप से संभव नही है। साथ अवगत कराना है कि मोटर मार्ग आरक्षित वन महिपुर कक्ष संख्या 3 एवं श्रीपुर कक्ष संख्या–1 के अन्तर्गत संरेखित है। संरेखण आरक्षित वन के अन्दर होने के कारण ऑनलाईन पार्ट–II के पैरा–7 में प्रस्तावित क्षेत्र की वन की सीमा से दूरी शून्य दर्शायी गयी है। पार्ट–IV & V की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न–7 एवं 8)** |
| 7. | State Govt. will upload correct information of district profile in online Part-II at para 14 in Part-II. | शर्त संख्या 7 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल पर प्रभाग स्तर से किसी प्रकार का संशोधन किया जाना तकनीकी रूप से संभव नही है, जिस हेतु District Profile की सूचना हार्ड कॉपी में संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न–9)** |
| 8 | State Govt. will submit scheme for planting 6000 trees in lieu of 6.00 ha falling in MDF as per Ministry guidelines dated 08-11-2017. | शर्त संख्या 8 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु ग्राम ल्वारखा तिमली सैंण में चयनित 6.00 है0 सिविल सोयम भूमि की उपयुक्ता के सम्बन्ध में भारत सरकार की गाईडलाईन F.No. 11-423/2011-FC दिनांक 08.11.2017 के दष्टिगत वर्ष 2018 में पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया, इससे सम्बन्धित प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र 2281/21सी दिनांक 26.09.2018 प्रभागीय वनाधिकारी का पत्र 1021/12–1 दिनांक 27.09.2018 संयुक्त |

| क्र. सं. | सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| | | निरीक्षण रिपोर्ट, उपयुक्तता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्न–10)<br>मौके पर किये गये संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि प्रस्तावित भूमि के आंशिक भाग में कुछ वृक्ष है तथा अधिकांश भाग में झाड़ियां स्थित है, जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। साथ ही उक्त भूमि पर 6000 पौधों की वनीकरण योजना संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न–11) |

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संख्या– 541 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़ टिहरी गढवाल।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संलग्नक - 1 ६

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्ये क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/03/2017/एफ0सी0/2070 दिनांक 07 जनवरी 2019 की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि0मी0) के निर्माण हेतु 2.975 है0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यो के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ल्वार्खा तिमली रौंण की 5.95 अर्थात् 6.00है0 सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु तहसीलदार धनोल्टी के पत्रांक 191/रजि0का0/योगदान/2018 दिनांक 09 जुलाई 2019 पर उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के पृष्ठांकन दिनांक 03 जुलाई2019 के अन्तर्गत तहसील धनोल्टी की भूमि प्रस्तावित की गई है। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

| ग्राम | पट्टी | खाता संख्या | खसरा संख्या | अर्जित रक्वा(है0में) | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ल्वार्खा मध्ये तिमली रौंण | सकलाना | 10 | 2028 | 2.372 | उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3)ड. |
| | | | 2034म0 | 1.517 | |
| | | | 2163 | 2.111 | |
| योग | | | | 6.000 | |

प्रस्तावित भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि0मी0) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या – 2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या –2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010राजस्व अनुभाग –2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा 6.000 (छः) हे0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोल्टी तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(डा0वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–1033/XI–118 (2018–19)दिनांक,नई टिहरी,सितम्बर,27,2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।
6– अधिशासी अभियन्ता,अ0ख0 लो0नि0वि0 थत्यूड़।
7– उप जिलाधिकारी धनोल्टी।
8– तहसीलदार धनोल्टी।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रेषक,

तहसीलदार,
धनोल्टी, टिहरी गढवाल ।

सेवा में,

जिला अधिकारी,
टिहरी गढवाल ।

द्वारा– उप जिलाधिकारी, धनोल्टी, टिहरी गढवाल ।

संख्या– 304 /रजि0का0/क्षति0वृ0/2019, दिनांक धनोल्टी अक्टूबर 18, 2019

विषय– वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 1033/XI-115 (2018-19) दिनांक नई टिहरी सितम्बर 27, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र भारत सरकार पर्यावरण एवंज वायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्ये क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/03/2017/एफ0सी0/2070, दिनांक 07 जनवरी 210 की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में ब्लॉक जौनपुर के अन्तर्गत मरवकाटल के श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00किमी0 के) निर्माण हेतु 2.975 हैक्टेयर वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिरोपक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ल्वार्खा तिमली सैण की 5.950 हैक्टेयर अर्थात 6.00 हैक्टेयर सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया जाना इस कार्यालय द्वारा प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित मरकवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 किमी0) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या –2882/XXVIII(II)/11-18(120/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या -2356/XVII(II)/13-18 (120/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा का उल्लेख है। अतएव शासनादेश संख्या –217/3XXVIII(II)/2012-18 /120 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये खसरा नम्बरान 2028/2.372, 2031क0/1.517 व 2103/2.111 हैक्टेयर कुल रकबा 6.000 हैक्टेयर जो कि उत्तराखण्ड सरकार के श्रेणी वर्ग 9 (3)ड के अन्तर्गत है।

उक्त सिविल भूमि को उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की गयी है। तथा इस कार्यालय को ततकाल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों मेकं नामान्तरित/इन्द्राजी करने के निर्देश है। उक्त के अनुपालन में उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ल्वार्खा की वर्तमान ज0वि0र0 खतौनी फसली सन् 1425 से 1430, खतौन खाता संख्या 10 में वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दर्ज अभिलेख/इन्द्राज कर दिया गया है। खतौनी खतो की नकल संलग्न रिपोर्ट के है।

अतः अनुपालन आख्या महोदय को सादर सम्प्रेषित।

संलग्नक–ज0वि0र0 खतौनी नकल ।

भवदीया
(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
धनोल्टी, टिहरी गढवाल

जिला अधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल की सेवामें,
तहसीलदार धनोल्टी की अनुपालन आख्या सादर सम्प्रेषित ।

(हस्ताक्षर)
उप जिलाधिकारी
धनोल्टी, टिहरी गढवाल

नकल खतौनी ज० कि० ए० ग्राम-ल्वार्खा, पट्टी-मनयाला,
तहसील -- धनौल्टी, जिला-टिहरी गढ़वाल,
सन -- फ० 1425 फ० से 1430 फ० तक
श्रेणी -- बंजर भूमि -

| खातेदार काश्तकार | फसली वर्ष | खसरा नम्बर | रकबा हे० | लगान रु० पै० | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| गोल्पद सरकार ई (2) इ. | हाल बन्दोबस्त से पूर्व | 27 | 0.812 | - | 1427 फ० आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश सं०-1033/x1-115(2018-19) दि० नई टिहरी दिसम्बर 27, 2019 एवं शासनादेश सं०-2718/xviii(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दि० 17 दिसम्बर 2012 के अनुपालन में ग्राम-ल्वार्खा के ज० कि० ए० खतौनी खाता सं०-10 के खसरा नं० 2028/2.373, 2034 म०/1.517, 2163/2.111 है० कुल 6.000 है० भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अंकित दर्ज किया। |
| | | 52 | 1.457 | | |
| | | 53 | 0.212 | | |
| | | 89 | 0.015 | | |
| | | 103 | 0.040 | | |
| | | 113 | 0.043 | | |
| | | 133 | 0.073 | | |
| | | 2013 | 1.352 | | |
| | | 2016 | 0.576 | | |
| | | 2028 | 2.373 | | |
| | | 2034 | 1.908 | | |
| | | 2044 | 1.556 | | |
| | | 2093 | 0.046 | | |
| | | 2118 | 1.123 | | |
| | | 2163 | 2.111 | | |
| | | 2164 | 0.773 | | |
| | | 2752 | 1.156 | | |
| | | 1323/2763 | 1.214 | | |
| | | 893/2764 | 1.288 | | |
| | | 1344/2765 | 0.038 | | |

सम्पूर्ण योग - 210 - 53.448 - xx

मुताबिक असल के नकल तैयार की।

ह० (अपठनीय) 3/10/19
राजस्व उपनिरीक्षक

8- तहसीलदार धनौल्टी।

तहसीलदार धनौल्टी

कृ० आर० के० (D)

SDM (D) 30/9/2019

कृ० आ० को०

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

ह० 4/10/19

सं भाग-2

I/16240/2022 In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification............/.............. Dehradun, dated.................... for general information.

**Government of Uttarakhand**
**Forest Section- 03**
**File No. 13 /X-3-22/14(02)/2021**
**Dehradun Date- 05 January, 2022**

**Notification**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)d land (for other agricultural use barren land) total 6.000 hectare, as forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Tehri Garhwal to the forest department for compensatory plantation against the 2.975 hectare Reserve Forest land transferred for the construction of **Bharwakatal to Sripur** Motor Road (Block Janpur) in District Tehri Garhwal, whose area and boundary details are given in the table below.

**Table**

| Sr. No. | District | Village | Khata Number | Khasara Number | Total area acquired (in Hectares) | Total area C.A acquired (in Hectares) | Category of Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Tehri Garhwal | Lvarkha middle Timli Sain | 10 | 2028 | 2.372 | 2.372 | Uttarakhand Government Category 9(3)d |
| | | | | 2034 Mid | 1.517 | 1.517 | |
| | | | | 2163 | 2.111 | 2.111 | |
| | | | | Total :- | 6.000 | 6.000 | |

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

(Vijay Kumar Yadav)
Secretary

**Copy:- Sent to the following for information and action.**

1- Inspector General, Forest, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jor Bagh Road, New Delhi.
2- Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
3- Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, Uttarakhand, Dehradun.
4- Additional Chief Conservator of Forests, and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.
5- Commissioner, Garhwal Zone, Uttarakhand.
6- District Magistrate, Tehri Garhwal.
7- Deputy Conservator of Forest, Mussoorie Forest Division, Mussoorie.
8- Sub-District Magistrate, Dhanolti.
9- Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council section- (B) part-4 of the general Gazette.
10-N.I.C. Secretariate Campus.
11-Guard File.

**Signed by Vijay Kumar Yadav**
**Date: 05-01-2022 09:55:02**

(Vijay Kumar Yadav)
Secretary

I/16241/2022

**उत्तराखण्ड शासन**
**वन अनुभाग–3**
**संख्या– 13 /X-3-22/14(02)/2021**
**देहरादूनः दिनांकः 05 जनवरी, 2022**

## अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढ़वाल के **जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर** मोटर मार्ग निर्माण के लिए हस्तान्तरित 2.975 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड0 अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के 6.000 है0 क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

**तालिका**

| क्र0 सं0 | जिला | ग्राम | खाता संख्या | खसरा संख्या | अर्जित रकवा (है0) | चयनित क्षेत्रफल (है0) | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | टिहरी गढ़वाल | ल्वार्खा मध्ये तिमली सैंण | 10 | 2028 | 2.372 | 2.372 | उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड. |
| | | | | 2034 म0 | 1.517 | 1.517 | |
| | | | | 2163 | 2.111 | 2.111 | |
| **कुल योग :–** | | | | | **6.000** | **6.000 है0** | |

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

**विजय कुमार यादव)**
सचिव।

**संख्याः– 13 /X-3-21/14(02)/2021,तद्‌दिनांकित।**
**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
7. उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
8. उप जिलाधिकारी, धनोल्टी।
9. निदेशक,राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब),भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 05-01-2022 09:55:43

**(विजय कुमार यादव)**
सचिव।

Additional NPV
संलग्न-3

शर्त संख्या –3

## शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि जमा करने की बचनबद्वता सम्बधी

### प्रमाण–पत्र

मार्ग का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00) के निर्माण हेतु 2.975 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑन लाईन पत्रावली संख्या **FP/UK/ROAD/10527/2015**)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर –केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/086/2017/एफ0सी0/2070 दिनांक 07.01.2019 में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में **''शुद्व वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग, थत्यूड जमा करने हेतु बचनबद्व है।''**

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड (टिहरी गढवाल)।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड (टिहरी गढवाल)।

# कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 4076 / 12-1 मसूरी, दिनांक- 27 / 06 / 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०,
थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि०मी०) के निर्माण हेतु 2.975 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. - FP/UK/ROAD/10527/2015)

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक-902/21सी०, दिनांक-22.04.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-3268/12-1, दिनांक-08.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी-केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून के पत्र संख्या-08बी./यू.सी.पी./06/86/2017/एफ.सी./2070, दिनांक- 07.01.2019 से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या में इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से दो बिन्दुओं में कमियां इंगित की गयी।

प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुए पांच वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अत: भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र File No.5-3/2011-FC(Vol-I), दिनांक- 19 जनवरी 2022 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-1326/1जी-5057, दिनांक- 6 जनवरी 2024 के निर्देशानुसार एन०पी०वी० की धनराशि वर्तमान दरों के अनुसार जमा की जानी है, जिस हेतु सन्दर्भित पत्र से एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि ₹ 13,32,354.00 ( तेरह लाख बत्तीस हजार तीन सौ चौवन रु० मात्र ) का भुगतान किये जाने हेतु लिखा गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

| मद | क्षेत्रफल (है०) | जमा की गयी एन०पी०वी० की धनराशि | | पुनरीक्षित एन०पी०वी० की धनराशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | दर प्रति है0 | देय धनराशि | दर प्रति है0 | देय धनराशि |
| शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) | | | | | |
| [Eco Class- V (Dense Forest)] | 2.975 | 8,45,000.00 | 25,13,875.00 | 12,92,850.00 | 38,46,228.75 |
| Say | | | 25,13,875.00 | | 38,46,229.00 |
| **Additional Amount to be paid by UA** | | | 13,32,354.00 | | |

अत: एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि ₹ 13,32,354.00 ( तेरह लाख बत्तीस हजार तीन सौ चौवन रु० मात्र) का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

P.T.O.

संख्या : ...4076..../12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

o/c

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
# अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टिहरी गढवाल)।

E-Mail- eepwdthatyur@rediffmail.com Phone & Fax:- 01376-246321


पत्रांक 902 /21 सी0 दिनांक 25/4/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00) के निर्माण हेतु 2.975 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑन लाईन पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/10527/2015) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर –केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/086/2017/एफ0सी0/2070 दिनांक 07.01.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर –केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/086/2017/एफ0सी0/2070 दिनांक 07.01.2019 द्वारा प्राप्त हुई है, विधिवत् स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या निम्नवत् है:–

| क0 सं0 | सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.95 अर्थात 6.00 है0 ग्राम ल्वारखा तिमलीसैण सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुये यथाशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। | शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दुगुने 5.95 अर्थात 6.00 है0 ग्राम ल्वारखा तिमलीसैण सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 4185865.00 (इक्कतालीस लाख पिचासी हजार आठ सौ पैंसठ रूपये) जमा की गयी है। उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के आदेश जिलाधिकारी टिहरी गढवाल द्वारा स्वीकृत है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है, साथ ही खाता खतौनी में अमल दरामद सम्बन्धित दास्तावेज की संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट संलग्न है। पृष्ठ 1,2,3 संलग्न |
| 2 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। | शर्त संख्या 2 भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 4185865.00 (इक्कतालीस लाख पिचासी हजार आठ सौ पैंसठ रूपये) दिनांक 23.03.2019 जमा करा दी गयी है। (छायाप्रति संलग्न) पृष्ठ 4,5,6,7 |
| 3 | शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनवद्वता प्रस्तुत की जाये। | शर्त संख्या 3 के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। पृष्ठ-8 |
| 4 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी, सभ निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर ऑन लाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम से उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नही होगी। | शर्त सं0–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण क्षतिपूति पूर्वक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 4185865.00 (इक्कतालीस लाख पिचासी हजार आठ सौ पैंसठ रूपये) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है। डिमांड ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न है। पृष्ठ 4,5,6,7 संलग्न |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | सडक निर्माण के पश्चात तथा जहां–जहां सम्भव हो सडके दोनों के किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी। | सडक निर्माण के पश्चात तथा जहां–जहां सम्भव हो सडके दोनों के किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न है। |

अतः अनुपालन आख्या सूचनार्थ प्रेषित।

संलनग्नः– उपरोक्तानुसार।

24.4.24

(इं0 लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

पत्रांक /21 सी0 दिनांक / /2024

प्रतिलिपि :– 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालॉनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, थत्यूड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासो अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)।

(11)

(1)

पत्रांक 1779
फाईल 21 स्वीकृति
::आदेश:: दिनांक 15/10/19

भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्ये क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/03/2017/एफ0सी0/2070 दिनांक 07 जनवरी 2019 की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि0मी0) के निर्माण हेतु 2.975 है0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यो के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ल्वार्खा तिमली सैंण की 5.95 अर्थात् 6.00है0 सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु तहसीलदार धनोल्टी के पत्रांक 191/रजि0का0/योगदान/2018 दिनांक 09 जुलाई 2019 पर उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर के पृष्ठांकन दिनांक 03 जुलाई2019 के अन्तर्गत तहसील धनोल्टी की भूमि प्रस्तावित की गई है। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

| ग्राम | पट्टी | खाता संख्या | खसरा संख्या | अर्जित रक्वा(हे0में) | भूमि की किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ल्वार्खा मध्ये तिमली सैंण | सकलाना | 10 | 2028 | 2.372 | उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3)ड. |
| | | | 2034म0 | 1.517 | |
| | | | 2163 | 2.111 | |
| योग | | | | 6.000 | |

प्रस्तावित भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 कि0मी0) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या – 2882/XVIII(II)/11–18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या –2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010राजस्व अनुभाग –2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा 6.000 (छः) हे0 सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोल्टी तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(डा0वी0षणमुगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

## कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–1033/XI–115 (2018–19)दिनांक,नई टिहरी,सितम्बर,27,2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।
6– अधिशासी अभियन्ता,अ0ख0 लो0नि0वि0 थत्यूड़।
7– उप जिलाधिकारी धनोल्टी।
8– तहसीलदार धनोल्टी।

AE IV/अभि0
15/10/19

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

2

प्रेषक

तहसीलदार,
धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल।

सेवा में,

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

द्वारा– उप जिलाधिकारी, धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 304 / रजि0का0 / क्षति0वृक्षा0 / 2019, दिनांक धनोल्टी अक्टूबर 18, 2019

विषय– वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तिरित भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामन्तरित / इन्द्राजी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 1033/XI-115 (2018-19) दिनांक नई टिहरी सितम्बर 27, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र भारत सरकार पर्यावरण एवंज वायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्ये क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र संख्या 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 03 / 2017 / एफ0सी0 / 2070, दिनांक 07 जनवरी 219 की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में ब्लॉक जौनपुर के अन्तर्गत भरवकाटल के श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00किमी0 के) निर्माण हेतु 2.975 हैक्टेयर वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिरोपक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ल्वार्खा तिमली सैण की 5.950 हैक्टेयर अर्थात 6.00 हैक्टेयर सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया जाना इस कार्यालय द्वारा प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भरकवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00 किमी0) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या –2882/XXVIII(II)/11-18(120/2010 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या -2356/XVII(II)/13-18 (120/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय / मा0 उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा का उल्लेख है। अतएव् शासनादेश संख्या –217/3XXVIII(II)/2012-18 /120 राजस्व अनुभाग–2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय धनोल्टी के द्वारा प्रस्तावित किये गये खसरा नम्बरान 2028 / 2.372, 2034म0 / 1.517 व 2163 / 2.111 हैक्टेयर कुल रकवा 6.000 हैक्टेयर, जो कि उत्तराखण्ड सरकार के श्रेणी वर्ग 9 (3)ड के अन्तर्गत है।

उक्त सिविल भूमि को उल्लिखित शासनादेशों के आलोक मे व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपरण हेतु अन्तरित की गयी है। तथा इस कार्यालय को ततकल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों मेकं नामान्तरित / इन्द्राजी करने के निर्देश हैं। उक्त के अनुपालन में उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ल्वार्खा की वर्तमान ज0वि0र0 खतौनी फसली सन 1425 से 1430, खतौन खाता संख्या 10 में वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दर्ज अभिलेख / इन्द्राज कर दिया गया है। खतौनी खतो की नकल संलग्न रिपोर्ट के है।

अतः अनुपालन आख्या महोदय को सादर सम्प्रेषित।

संलग्नक–ज0वि0र0 खतौनी नकल।

भवदीया,
(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल

जिला अधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल की सेवामें,
तहसीलदार धनोल्टी की अनुपालन आख्या सादर सम्प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
उप जिलाधिकारी
धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल

③

नकल खतौनी ज० वि० र० ग्राम-ल्वाल्टा, पट्टी-सकलाना,
तहसील-धनौल्टी, जिला-टिहरी गढ़वाल,
1425 फ० से 1430 फ० तक
6 ड - कृषि योग्य बंजर भूमि-

| खातेदार सकूनत | फसली वर्ष | खसरा नम्बर | रकबा है० | लगान रू० पै० | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| उत्तराखण्ड सरकार 6(3) ड. | हाल बन्दोबस्त से पूर्व | 27 | 0.812 | - | 1427 फ० आदेश मु० आ० श्रीमान जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश सं०-1033/X1-115(2018-19) दि० नई टिहरी सितम्बर 27, 2019 (एवं शासनादेश सं०-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दि० 17 दिसम्बर 2012) के अनुपालन में ग्राम-ल्वाल्टा के ज० वि० र० खतौनी खाता सं०-10 में खसरा नं० 2028/2.372, 2034 मि०/1.517, 2163/2.111 है० कुल 6.000 है० भूमि वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अभिलेख दर्ज किया। (हस्ताक्षर) रा० उ० नि० ल्वाल्टा |
| | | 52 | 1.457 | | |
| | | 53 | 0.212 | | |
| | | 89 | 0.015 | | |
| | | 103 | 0.040 | | |
| | | 113 | 0.043 | | |
| | | 133 | 0.073 | | |
| | | ↓ | ↓ | | |
| | | 2013 | 1.352 | | |
| | | 2016 | 0.576 | | |
| | | 2028 | 2.372 | | |
| | | 2034 | 1.908 | | |
| | | 2044 | 1.554 | | |
| | | 2093 | 0.046 | | |
| | | 2118 | 1.123 | | |
| | | 2163 | 2.111 | | |
| | | 2164 | 0.773 | | |
| | | ↓ | ↓ | | |
| | | 2752 | 1.156 | | |
| | | 1323/2763 | 1.214 | | |
| | | 893/2764 | 1.288 | | |
| | | 1344/2765 | 0.038 | | |

सम्पूर्ण योग - 210 - 53.448 - XX

मुताबिक असल के नकल तैयार की।
(हस्ताक्षर) 3/10/19
रजिस्ट्रार कानूनगो
तहसील धनौल्टी

8- तहसीलदार धनौल्टी।
तहसीलदार धनौल्टी
कृ० आ० का० (हस्ताक्षर)
SDM (D) 30/9/2019

R.K.(D)
कृ० आ० का०
जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।
(हस्ताक्षर) DM (D) 7/10/19

(4)

## AGENCY COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 23-03-2019

| | |
|---|---|
| Client Code. | CAM5089 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Remitter Name. | PUBLIC WORKS DEPARTMENT |
| PIF/Application No. | 6110527791 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/86/2017 |
| Address. | E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri Garhwal Tehri Garhwal |
| Remitter Contact No.<br>Email-Id.<br>Mobile No.<br>Landline No. | <br>eepwdthatyur@rediffmail.com<br>9557823200<br>1376-246321 |
| Amount(in Rs) | 3626565/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Corp Bank Lodhi complex (0371) |

**Amount in Words**:Thirty-Six Lakh Twenty-Six Thousand Five Hundred and Sixty-Five Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

- **Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction**
- **Challan should only be accepted against INST/DD.**
- **Enter the Remitter Name in Additional Information 1**
- **Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2**
- **This challan is valid only for seven days.**

## CAMPA-MOEF Copy

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 23-03-2019

| | |
|---|---|
| Client Code. | CAM5089 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Remitter Name. | PUBLIC WORKS DEPARTMENT |
| PIF/Application No. | 6110527791 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/86/2017 |
| Address. | E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri GarhwalTehri Garhwal |
| Remitter Contact No.<br>Email-Id.<br>Mobile No.<br>Landline No. | <br>eepwdthatyur@rediffmail.com<br>9557823200<br>1376-246321 |
| Amount(in Rs) | 3626565/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Corp Bank Lodhi complex (0371) |

**Amount in Words** :Thirty-Six Lakh Twenty-Six Thousand Five Hundred and Sixty-Five Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

- **Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.**
- **Challan should only be accepted against INST/DD.**
- **Enter the Remitter Name in Additional Information 1**
- **Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2**
- **This challan is valid only for seven days.**

## BANK COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 23-03-2019

| | |
|---|---|
| Client Code. | CAM5089 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Remitter Name. | PUBLIC WORKS DEPARTMENT |
| PIF/Application No. | 6110527791 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/86/2017 |
| Address. | E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri GarhwalTehri Garhwal |
| Remitter Contact No.<br>Email-Id.<br>Mobile No.<br>Landline No. | <br>eepwdthatyur@rediffmail.com<br>9557823200<br>1376-246321 |
| Amount(in Rs) | 3626565/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Corp Bank Lodhi complex (0371) |

**Amount in Words** : Thirty-Six Lakh Twenty-Six Thousand Five Hundred and Sixty-Five Rupees Only

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

- **Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.**
- **Challan should only be accepted against INST/DD.**
- **Enter the Remitter Name in Additional Information 1**
- **Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2**
- **This challan is valid only for seven days.**

**After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in**

(5)

(4)

जारी करने वाली शाखा
भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
Issuing Branch:THATUR
कोड क्र /CODE No: 04529
Tel No. 01376-246301

डिमांड ड्राफ्ट
**DEMAND DRAFT**

Key: YIKLIY
Sr. No: 917827

| 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

मांगे जानेपर CAMPA COMPENSATORY AFFORESTAT ION FUND MANAGEMENT***********
ON DEMAND PAY
या उनके आदेश पर
OR ORDER

रुपये **RUPEES** Thirty Six Lakh Twenty Six Thousand Five Hundred and Sixty Five Only

अदा करें ₹ 3626565.00

IOI 000380033076
Name of Applicant

Key: YIKLIY Sr. No: 917827
BR PARKING A/C WITH INB-04529 SBI

AMOUNT BELOW 3626566(S/Z)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

9 8 7 6 5 4 3 2 1

भारतीय स्टेट बैंक
**STATE BANK OF INDIA**
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH:DEHRA DUN MAIN BRANCH
कोड क्र /CODE No: 00630

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

आनन्द मोहन सिंह
Anand Mohan Singh
SS No. A-5847

SS No. under Circulation

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

MADRAS SECURITY PRINTERS PVT. LTD. CHENNAI / CTS - 2010

⑈033076⑈ 000002000⑆ 000380⑈ 16

(6)

## AGENCY COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

### Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

**Date : 27-09-2019**

| | |
|---|---|
| Client Code. | CAM5089 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Remitter Name. | PUBLIC WORKS DEPARTMENT |
| PIF/Application No. | 6110527147 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/86/2017 |
| Address. | E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri Garhwal Tehri Garhwal |
| Remitter Contact No.<br>Email-Id.<br>Mobile No.<br>Landline No. | eepwdthatyur@rediffmail.com<br>9557823200<br>1376-246321 |
| Amount(in Rs) | 559300/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Corp Bank Lodhi complex (0371) |

**Amount in Words:**Five Lakh Fifty-Nine Thousand Three Hundred Rupees Only

Depositor Signature (Signature) | Bank Official (Signature)

| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

## CAMPA-MOEF Copy

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

### Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

**Date : 27-09-2019**

| | |
|---|---|
| Client Code. | CAM5089 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Remitter Name. | PUBLIC WORKS DEPARTMENT |
| PIF/Application No. | 6110527147 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/86/2017 |
| Address. | E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri GarhwalTehri Garhwal |
| Remitter Contact No.<br>Email-Id.<br>Mobile No.<br>Landline No. | eepwdthatyur@rediffmail.com<br>9557823200<br>1376-246321 |
| Amount(in Rs) | 559300/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Corp Bank Lodhi complex (0371) |

**Amount in Words** :Five Lakh Fifty-Nine Thousand Three Hundred Rupees Only

Depositor Signature (Signature) | Bank Official (Signature)

| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

## BANK COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

### Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

**Date : 27-09-2019**

| | |
|---|---|
| Client Code. | CAM5089 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Remitter Name. | PUBLIC WORKS DEPARTMENT |
| PIF/Application No. | 6110527147 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/86/2017 |
| Address. | E.E. Ty. Divi. P.W.D. Thatyur Tehri GarhwalTehri Garhwal |
| Remitter Contact No.<br>Email-Id.<br>Mobile No.<br>Landline No. | eepwdthatyur@rediffmail.com<br>9557823200<br>1376-246321 |
| Amount(in Rs) | 559300/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Corp Bank Lodhi complex (0371) |

**Amount in Words** : Five Lakh Fifty-Nine Thousand Three Hundred Rupees Only

Depositor Signature (Signature) | Bank Official (Signature)

| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

**After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in**

(7)

खा
भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
04529
01376-246301

मांगड्राफ्ट
# DEMAND DRAFT

Key: WUKHEN
Sr. No: 877895

| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

मांगे जानेपर COMPENSATORY AFFORESTATION FU ND MANGMT & PLANNING ATHORITY* या उनके आदेश पर

ON DEMAND PAY OR ORDER

Five Lakh Fifty Nine Thousand Three Hundred Only

रुपये RUPEES 559300.00

अदा करें ₹

IOI 000380033237 Key: WUKHEN Sr. No: 877895 AMOUNT BELOW 559301(5/6) मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

Name of Applicant BR PARKING A/C WITH INB-04529 SBI

9 8 7 6 5 4 3 2 1

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH:PBB VASANT VIHAR DEHRADUN 04207
कोड क्रं . /CODE No: 04207

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY
C-88330

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER
C-4147

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

MADRAS SECURITY PRINTERS PVT. LTD., CHENNAI / CTS - 2010

⑈033237⑈ 000002000⑆ 000380⑈ 16

(7)

Received
Anurag
23.10.19.

(8)



## शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि जमा करने की बचनबद्वता सम्बधी

### प्रमाण–पत्र

मार्ग का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00) के निर्माण हेतु 2.975 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑन लाईन पत्रावली संख्या **FP/UK/ROAD/10527/2015**)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर –केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 086 / 2017 / एफ0सी0 / 2070 दिनांक 07.01.2019 में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में **''शुद्व वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग, थत्यूड जमा करने हेतु बचनबद्व है।''**

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड (टिहरी गढवाल)।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड (टिहरी गढवाल)।

(9)

शर्त संख्या –5

सडक निर्माण के पश्चात तथा जहां–जहां सम्भव हो सडके दोनों के किनारों तथा **Central Verge** पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में **Strip plantation** लोक निर्माण विभाग, थत्यूड बचनबद्व है।

## प्रमाण–पत्र

मार्ग का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00) के निर्माण हेतु 2.975 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑन लाईन पत्रावली संख्या **FP/UK/ROAD/10527/2015**)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर –केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 086 / 2017 / एफ0सी0 / 2070 दिनांक 07.01.2019 में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 के अनुपालन में **सडक निर्माण के पश्चात तथा जहां–जहां सम्भव हो सडके दोनों के किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation** लोक निर्माण विभाग, थत्यूड बचनबद्व है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड (टिहरी गढवाल)।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड (टिहरी गढवाल)।